वीटो शक्ति (राज्यपाल) -

3. सदन के पास विधेयक को विचारार्थ भेज सकते हैं बिना किसी परिवर्तन के यदि सदन दुबारा विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाए तो राज्यपाल को स्वीकृति अवश्य देनी होती है। इस तरह राज्यपाल के पास केवल स्थगन वीटो का अधिकार है।

4. वह विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है अब राज्यपाल की जगह ~~पूरी~~ जिम्मेदारी राष्ट्रपति की हो जाती है। राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

5. धन विधेयक के मामले में राज्यपाल अपनी स्वीकृति दे देता है। राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है।

अध्यादेश निर्माण में → राष्ट्रपति तथा राज्यपाल दोनों की अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यपाल कोई विधि बनाने ~~या~~ किसी अध्यादेश को वापस लेने का काम केवल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। उसके (Gov.) द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानमंडल के सत्र प्रारंभ होने के छह ~~सप्ताह~~ सप्ताह उपरांत समाप्त हो जाता है। अध्यादेश इससे पहले भी समाप्त हो सकता है, यदि राज्य विधान सभा इसे अस्वीकृत करे और विधान परिषद इस अस्वीकृति को सहमति प्रदान करे।

क्षमादान के मामले में राज्यपाल की शक्तियां :-

1. राज्यपाल राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को वह क्षमादान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है।

2. राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, चाहे किसी भी को राज्य विधि के तहत मौत की भी सजा मिली भी हो तो भी उसे राज्यपाल की बजाए राष्ट्रपति से क्षमा की याचना करनी होगी, लेकिन राज्यपाल इसे स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है।

Scanned with CamScanner

राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति राष्ट्रपति की तुलना में निम्नलिखित दो मामलों में भिन्न है: -

1. संविधान में इस बात की कल्पना की गई थी कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम करे, जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसी कल्पना नहीं की गई।

2. 42 वें संविधान संशोधन (1976) के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय कर दी गई, जबकि राज्यपाल के संबंध में इस तरह का कोई उपबंध नहीं है।

संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। उनके विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार निम्न हैं: -

1. राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना,
2. राज्य में राष्ट्रपति की सिफारिश करना।
3. पड़ोसी केंद्रशासित राज्य में अतिरिक्त प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालना, 4. असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण।
5. राज्य के विधानपरिषद एवं प्रशासनिक मामलों में CM से जानकारी प्राप्त करना।

राज्यपाल, राष्ट्रपति की तरह परिस्थितिजन्य निर्णय ले सकता है। संविधान में राज्यपाल कार्यालय के मामले में भारतीय संघीय ढांचे के तहत दोहरी भूमिका तय की गई है। वह राज्य का संवैधानिक मुखिया होने के साथ-साथ केंद्र (राष्ट्रपति) का प्रतिनिधि भी होता है।

Scanned with CamScanner